2026:CGHC:3239

अप्रतिवेद्य

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका क्रमांक–3613/2025

- यशोदा बाई पटेल पति–स्वर्गीय जीवन लाल पटेल, उम्र–लगभग 51 वर्ष, निवासी–ग्राम भगवानपुर, पोस्ट–गोरखा, तहसील व जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़

–––––याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता

विरूद्ध

- पंकज कुमार पटेल पिता–खेमराज पटेल, उम्र–लगभग 32 वर्ष, निवासी–ग्राम बरमुड़ा, तहसील व जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़

–––––उत्तरवादी/अभियुक्त

याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता द्वारा : श्री हरि अग्रवाल, अधिवक्ता ।

उत्तरवादी/अभियुक्त द्वारा : श्री रूप राम नायक, अधिवक्ता ।

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल, न्यायाधीश

!! आदेश पीठ पर पारित !!

20/01/2026

1. उभयपक्ष को सुना गया ।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के तहत प्रस्तुत इस याचिका में, पुनरीक्षण न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा दाण्डिक

POMAN DEWANGAN
Digitally signed by POMAN DEWANGAN
Date: 2026.01.20 15:01:47 +0530

पुनरीक्षण क्रमांक–62/2025 "पंकज कुमार पटेल **विरूद्ध** यशोदा बाई पटेल" में पारित आदेश दिनांक–17/09/2025 को चुनौती दी गई है, जिसके तहत पुनरीक्षणकर्ता/ अभियुक्त पंकज कुमार पटेल का पुनरीक्षण आवेदन आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश में संशोधन किया गया है ।

3. विचारण न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़ द्वारा परिवाद प्रकरण क्रमांक–178/2022 "यशोदा बाई पटेल **विरुद्ध** पंकज कुमार पटेल" (अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881) में दिनांक 14/05/2025 को परिवादी द्वारा धारा 143(क) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया गया था, जिसके द्वारा अभियुक्त को चेक राशि ₹12,60,000/– (बारह लाख साठ हजार रुपये) की 10% राशि 60 दिवस के भीतर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया था ।

4. उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्त द्वारा पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया, जिस पर पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा जमा की जाने वाली 10% राशि को घटाकर 3% कर दिया गया ।

5. याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि परिवाद वर्ष–2022 से लंबित है जिसका अभी तक निराकरण नहीं हुआ है । पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा कोई आधार दिये बिना आदेश परिवर्तित किया गया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6. प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नाधीन आदेश में इस न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्तियों के तहत हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाया जाता ।

7. अतः यह याचिका **निराकृत** की जाती है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह परिवाद प्रकरण में शीघ्रतापूर्वक सुनवाई पूर्ण करते हुए, यथासंभव 04 माह की अवधि के भीतर उसका अंतिम निराकरण सुनिश्चित करे ।

8. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की प्रति यथाशीघ्र संबंधित न्यायालयों को सूचनार्थ व पालनार्थ प्रेषित की जाए ।

9. उपरोक्तानुसार, इस दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका का निराकरण किया जाता है ।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

पोमन